कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य–द/अंग्रेजी माध्यम/ब्लॉक/2020–21/471 दिनांक : 28-01.2020

अति–आवश्यक

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषय : महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के कार्यरत कार्मिकों के समय पर वेतन आहरण के संबंध में।

प्रसंग : शिविरा/माध्य/मा–द/वॉक–इन–इन्टरव्यू/2019–20/15 दिनांक 11.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय महात्मा गांधी विद्यालयों में आहरण वितरण अधिकारी का पद नहीं होने के कारण इन विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं अन्य कार्मिकों का वेतन रिक्त पदों के विरूद्ध आहरित किया जा रहा है।

इस कार्यालय के ध्यान में आया है कि उक्त पदस्थापित कार्मिकों की वेतन व्यवस्था का आदेश संबंधित कार्यालयों से समय पर न होने के कारण एवं जिस स्थान से वेतन का आहरण किया जा रहा है, उक्त कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा पृथक से इन कार्मिकों का वेतन विपत्र कोष कार्यालयों में विलम्ब से प्रेषित किया जा रहा है।

कुछ माामलों में यह भी ध्यान में आया है कि वेतन व्यवस्था में आदेश समय पर होने के बावजूद भी आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा इन कार्मिकों के वेतन आहरण में विलम्ब किया जाता है जिसके फलस्वरूप पदस्थापित कार्मिकों को वेतन आहरण समय पर नहीं होने के कारण उक्त कार्मिकों के वेतन से/बैंक खातों से होने वाली कटौतियां समय पर नहीं होती है जिससे कार्मिक डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाता है, इससे कार्मिक को व्यक्तिगत, मानसिक एवं आर्थिक क्षति होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत संचालित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के वेतन व्यवस्था आदेश एवं वेतन आहरण समय पर हो, इसकी सुनिश्चितता करावें। विलम्ब की स्थिति में संबंधित अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

www.rajteachers.com

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

D:\ma - D\General letter